संख्या : 108 /xxxvi(1)/2010-50/2009

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक : 21 मई, 2010

विषय–मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–1022/1989, ऑल इण्डिया जजेज एसोशियेसन व अन्य प्रति भारत संघ व अन्य में योजित आई0ए0 संख्या– 244/2009 में पारित आदेश दिनांक 4–5–2010 के अनुपालन में उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–1022/1989, ऑल इण्डिया जजेज एसोशियेसन व अन्य प्रति भारत संघ व अन्य में योजित आई0ए0 संख्या– 244/2009 में पारित आदेश दिनांक 4–5–2010 द्वारा समस्त राज्य सरकारों को आदेशित किया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति ई0 पद्मनाभन आयोग द्वारा न्यायिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों विषयक संस्तुतियों को दिनांक 01.01.2006 से लागू किया जाए।

2– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के न्यायिक सेवा एवं उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान एवं भत्तों को दिनांक 1–1–2006 से निम्नानुसार पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(क) उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा –

क0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रूपये में)	पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)
(1)	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) साधारण वेतनमान	9000–250–10750–300–13150–350–14550	27700–770–33090–920–40450–1080– 44770
(2)	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रथम ए0सी0पी0	10750–300–13150–350–14900	33090–920–40450–1080–45850
(3)	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वितीय ए0सी0पी0	12850–300–13150–350–15950 – 400–17550	39530–920–40450–1080–49090–1230– 54010

(4)	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) साधारण वेतनमान	12850–300–13150–350–15950 400–17550	39530–920–40450–1080– 49090–1230–54010
(5)	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) प्रथम ए0सी0पी0	14200–350–15950–400–18350	43690–1080–49090–1230–56470
(6)	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वितीय ए0सी0पी0	16750–400–19150–450–20500	51550–1230–58930–1380–63070

(ख) उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा –

क्रम सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रूपये में)	पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)
(1)	जिला जज (इन्ट्री लेबल)	16750–400–19150–450– 20500	51550–1230–58930–1380–63070
(2)	जिला जज (चयन वेतनमान)	18750–400–19150–450– 21850– 500–22850	57700–1230–58930–1380–67210– 1540– 70290
(3)	जिला जज (सुपर टाईम वेतनमान)	22850–500–24850	70290–1540–76450

टिप्पणी–न्यायिक सेवा में ए0सी0पी0 वेतनमान एवं उच्चतर न्यायिक सेवा में चयन तथा सुपर टाइम वेतनमान की अनुमन्यता के लिए शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

वर्तमान वेतनमान एवं उसके सोपानों हेतु पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए न्यायमूर्ति ई0 पद्मनाभन आयोग ने एक मास्टर वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से नियत किया है जो निम्नवत् है :–

रू0 27700–770–33090–920–40450–1080–49090–1230–58930–1380–67210–1540–76450

पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण संलग्नक–1 की फिटमेन्ट तालिका के अनुसार किया जायेगा।

3–वार्षिक वेतन वृद्धि – राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों की भांति न्यायिक अधिकारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी। ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2006 से 30.6.2006 के मध्य है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2006 को दी जायेगी तथा जिन अधिकारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1.7.2006 से 31.12.2006 के मध्य होगी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1.7.2006 को दी जायेगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष उक्तानुसार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को ही अनुमन्य कराई जायेगी। जिन अधिकारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2006 है ऐसे अधिकारियों को पूर्व

वेतनमान में वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1.1.2007 को अनुमन्य होगी।

4–महँगाई भत्ता – महँगाई भत्ते के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय वेतन आयोग (Justice Shetty Commission) के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू रहेंगे अर्थात केन्द्र सरकार के अधिकारियों की भॉति राज्य सरकार के अधिकारियों को छठे वेतन आयोग के क्रम में लागू महँगाई भत्ते न्यायिक अधिकारियों को भी देय होंगे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या– 396/xxvii (7)/2008 दिनांक 17.10.2008 तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये एवं जारी होने वाले आदेश लागू होंगे और उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17–10–2008 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित एवं अन्य निर्गत कार्यालय ज्ञापों, शासनादेश संख्या– 152/XXVII(7)म0भ0/2009 दिनांक 27 मई, 2009, संख्या– 171/ XXVII(7) म0भ0/2009 दिनांक 25 जून, 2009, संख्या– 164/XXVII(7)म0भ0/2009 दिनांक 26 अगस्त, 2009 एवं संख्या– 299/XXVII(7)म0भ0/2009 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 में अनुमन्य किये गये महॅगाई भत्ते का समायोजन करने के बाद ही दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों के अनुसार समय–समय पर अनुमन्य मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

5–अतिथि सत्कार भत्ता (Sumptuary Allowance) – प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को अतिथि सत्कार भत्ता दिनांक 1–1–2006 से निम्नानुसार अनुमन्य होगाः–

क्रम संख्या	न्यायिक अधिकारियों की श्रेणी	मासिक भत्ता (रूपये में)
1.	उच्चतर न्यायिक सेवा के समस्त अधिकारी	3100
2.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन)	2300
3.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन)	1500

6–विद्युत एवं जल के देयकों की प्रतिपूर्ति – इस सम्बन्ध में वर्तमान में शासनादेश संख्या 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक(2)/06, दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

7–चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा सुविधा –चिकित्सा भत्ता दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित कर रू0 1,000/–(रूपये एक हजार) प्रति माह की दर से सभी न्यायिक अधिकारियों को अनुमन्य होगा। चिकित्सा सुविधायें शासनादेश सं0 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.8.2006 के अनुसार यथावत रहेंगी।

8–समाचार पत्र एवं पत्रिका –इस सम्बन्ध में वर्तमान में शासनादेश संख्या–54–एक (1)/XXX VI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

9–पर्वतीय भत्ता –पर्वतीय भत्ता शासनादेश संख्या– 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक (2) /06 दिनांक 25.08.2006 की व्यवस्थानुसार राज्य सरकार के इस विषय में निर्गत शासनादेश संख्या– 39/ XXXVII(7)/प0वि0भ0/2009 दिनांक 13–2–2009 में इंगित शर्तो के अधीन देय

पर्वतीय भत्ते को दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित कर रू0 1500/– प्रति माह की दर से न्यायिक अधिकारियों को देय होगा।

10–पोशाक भत्ता (Robe Allowance) –प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को प्रत्येक 03 वर्ष में रू0 6,000/–(छः हजार) की धनराशि पोषाक भत्ते के रूप में अनुमन्य होगी। तीन वर्ष की गणना के लिए दिनॉक 01.01.2006 को आधार माना जायेगा।

11–दूरभाष सुविधा –दूरभाष सुविधा के सम्बन्ध में वर्तमान में शासनादेश दिनांक 25.8.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

12– वाहन सुविधा – शासकीय वाहन सुविधा के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था इस संशोधन के साथ यथावत लागू रहेगी कि अब एक पूल्ड कार तीन न्यायिक अधिकारियों के मध्य उपलब्ध करायी जायेगी।

13–वाहन ईधन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता – इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–54–एक (1)/XX XVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य सुविधा यथावत लागू रहेगी, परन्तु यह कि अब न्यायिक अधिकारियों को पैट्रोल/डीजल क्रय किये जाने का बिल प्रस्तुत किये जाने के स्थान पर सक्षम अधिकारी के द्वारा अनुमन्य ईधन की मात्रा को क्रय किये जाने का प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना ही पर्याप्त होगा।

14–अवकाश यात्रा सुविधा –इस सम्बन्ध में वर्तमान में शासनादेश संख्या– 54–एक (1)/XX XVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था निम्न संशोधन सहित लागू रहेगी :–

(क) नये नियुक्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को लगातार 02 वर्ष की सेवा एवं परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी और उक्त सुविधा 04 वर्ष के ब्लाक के अन्तर्गत मानी जायेगी।

(ख) इस सुविधा के लिये अधिकृत न्यायिक अधिकारियों को अपने सेवाकाल के अन्तिम वर्ष में भी यह सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

15–गृह यात्रा सुविधा – न्यायिक अधिकारियों को गृह यात्रा सुविधा वर्तमान में शासनादेश संख्या– 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था के अनुसार मिलती रहेगी, परन्तु यह कि प्रशासनिक कारणों से राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही कैडर में दो या उससे अधिक स्थानान्तरण होने वाले न्यायिक अधिकारियों को पूर्व से अनुमन्य इस सुविधा के अतिरिक्त एक अतिरिक्त गृह यात्रा सुविधा अनुमन्य की जा सकेगी।

16–विशेष वेतन –विशेष वेतन वर्तमान में शासनादेश संख्या– 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

17–अतिरिक्त प्रभार भत्ता – वर्तमान में शासनादेश संख्या– 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

18–अवकाश नगदीकरण – वर्तमान में शासनादेश संख्या– 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

19–स्थानान्तरण/व्यवधान भत्ता– वर्तमान में शासनादेश संख्या– 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

20– मकान किराया भत्ता – इस सम्बन्ध में पूर्व में न्याय विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या– 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था के साथ ही वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या– 38 /XXVII(7)म0कि0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं शासनादेश संख्या– 61/XXVII(7)/2009 दिनांक 16–2–2009 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था प्रत्येक न्यायिक अधिकारी पर संलग्नक–2 में दिनांक 1–1–2006 के पूर्व राज्य सरकार के अधिकारियों की प्राःस्थिति के अनुरूप दिनांक 1–1–2006 से न्यायिक सेवा के अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान की प्राःस्थिति के अनुसार मकान किराया भत्ता के निर्धारण हेतु ग्रेड पे का मात्र प्राकलन किया जा रहा है और उक्त भत्ता दर्शायी गयी ग्रेड वेतन की समतुल्यता के अनुरूप अनुमन्य रहेगी।

21– आवासीय कार्यालय, वर्दी धुलाई एवं वाह्य न्यायालय भत्ता – आवासीय कार्यालय भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता तथा वाह्य न्यायालय भत्ते की दरों में कोई परिवर्तन नही किया जा रहा है। ये भत्ते यथावत अनुमन्य होंगे।

22– शासकीय आवास सुविधा –इस सम्बन्ध में न्यायिक अधिकारियों को शासनादेश संख्या– 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

23–बीमा आच्छादन – राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों की भांति सभी न्यायिक अधिकारियों के बीमा आच्छादन हेतु शासनादेश संख्या– 37/ XXXVII(7)सा0बी0यो0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार रू0 4,00,000 (चार लाख) की व्यवस्था होगी जिसके लिए मासिक अभिदान की दर रू0 400 (चार सौ प्रति माह) होगी जिसमें से रू0 120 बीमा निधि एवं रू0 280 बचत निधि निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :–

(क) पुनरीक्षित दर से मासिक अंशदान की कटौती ३० मई, 2010 (देय 30 मई, 2010) के वेतन से प्रारम्भ की जायेगी।

(ख) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।

24– ड्राईगरूम का सुसज्जीकरण – आवास पर ड्राइंग रूम के सुसज्जीकरण के सम्बन्ध में वर्तमान में शासनादेश संख्या– 112/XXXVI(1)/2008-6-एक(2)/06 दिनांक 27.3.2008 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

25– भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत अग्रिम – न्यायिक अधिकारियों को यह सुविधा पूर्व में जारी शासनादेश संख्या – 54–एक (1)/XXXVI(1)/2006-06–एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 के

अनुसार राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों पर लागू ब्याज दर व अन्य शर्तो के साथ अनुमन्य रहेगी।

26—वाहन क्रय अग्रिम — न्यायिक अधिकारियों को वाहन क्रय अग्रिम के रूप में दुपहिया वाहन/मोटर कार की धनराशि अधिकतम रू0 800000/— (आठ लाख) तक राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों पर लागू ब्याज दर व अन्य शर्तो के साथ यथावत लागू रहेगी।

27— एल0एल0एम0 डिग्री धारकों को तीन वेतन वृद्धियाँ दिया जाना — इस सम्बन्ध में वर्तमान में शासनादेश संख्या— 112/XXXVI (1)/2008-6-एक (2)/06 दिनांक 27.3.2008 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत जारी रहेगी।

28— स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता — स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या— 40/XXVII(7)स्वै0 परि0 क0/2009 दि0 13.2.2009 की व्यवस्थाए समस्त न्यायिक अधिकारियों पर इस शर्त के साथ लागू रहेगी कि उक्त संवर्ग में चूंकि रनिंग वेतनमान दिनांक 1—1—2006 से दिये गये है और पद की ग्रेड पे नहीं रखी गयी है। इसलिये दिनांक 1—9—2008 के पूर्व दिनांक 1—1—2006 के पूर्व अनुमन्य वेतनमान की वेतनवृद्वि का दुगनी दर से तथा दिनांक 1—9—2008 से पुनरीक्षित वेतनमान की वेतनवृद्वि के बराबर परिवार नियोजन भत्ता अनुमन्य होगा।

29— यात्रा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण — यात्रा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 78/XXVII (7)/2009 दिनांक 01.03.2009 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 411/ XXVII (7)/2010 दिनांक 06.01.2010 द्वारा किया गया है। न्यायिक अधिकारियों को उक्त पुनरीक्षित सुविधा संलग्नक—2 में दर्शायी गयी ग्रेड वेतन की समतुल्यता के अनुरूप प्रदान की जायेगी।

30—पुनरीक्षित वेतनमान की अवशेष धनराशि का भुगतान —

(क) न्यायिक अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान एवं समस्त देय भत्तों का भुगतान माह मई, 2010 के वेतन से नकद किया जायेगा।

(ख) दिनांक 01.01.2006 से 30.04.2010 तक के पु .क्षित वेतनमान में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 4—5—2010 के अनुसार वेतन एवं भत्तों के एरियर की देय धनराशि का भुगतान 60 प्रतिशत नकद किया जायेगा जिसमें से आधी धनराशि वित्तीय वर्ष 2010—11 में एवं शेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2011—12 में भुगतान की जायेगी।

(ग) शेष 40 प्रतिशत की धनराशि वित्तीय वर्ष 2010—11 में तत्काल सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी। ब्याज की गणना के लिये धनराशि दिनांक 04.05.2010 को जमा मानी जायेगी।

(घ) जिन न्यायिक अधिकारियों के भविष्य निधि खाते नहीं हैं, उन्हें उक्त धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जायेगी।

(ड) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो दिनांक 1—1—2006 या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्हें समस्त अवशेष धनराशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।

(च) उक्त समस्त एरियर की धनराशि के भुगतान से पूर्व इस पर देय आयकर की कटौती की जायेगी।

31 – उपरोक्त पुनरीक्षित वेतनमान, भत्ते तथा सुविधाएँ उन न्यायिक अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो जिला न्यायालयों में तैनात नहीं है, अपितु अन्य विभागों/प्रतिनियुक्ति/कुटुम्ब न्यायालयों इत्याादि में समकक्ष पद पर तैनात है।

32– ऐसे अधिकारी जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त हुए हो उनके एरियर से नई अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत अधिकारी का अंशदान व आयकर की धनराशि भी काटा जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

33– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 2671/XXVII(7)/2010 दिनांक 21 मई, 2010 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीया,

21.5.2010

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
प्रमुख सचिव

संलग्नक– यथोपरि।

संख्या–1080(1)/ xxxvi(1)/2010-50/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. अध्यक्ष सहकारिता अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, हरिद्वार रोड देहरादून।
8. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, देहरादून।
9. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल।
10. निबन्धक, राज्य लोक सेवा अधिकरण, देहरादून।
11. समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
12. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
13. अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
14. सदस्य सचिव, राज्य विधिक प्राधिकरण, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
17. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून को इन अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह दिनांक 1.6.2010 से पूर्व संशोधित वेतन पर्ची जारी करने का कष्ट करें।
18. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की।
19. निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र (N.I.C.) देहरादून।
20. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
21. वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु–7,उत्तराखण्ड शासन।
22. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव

संलग्नक–1

शासनादेश सं0– 108 /xxxvi(1)/2010-50/2009 दिनांक 21 मई, 2010

क्र0 संख्या (I)	वर्तमान वेतनमान (रूपये में)		पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	
	वेतन (II)	वेतनवृद्धि (III)	वेतन (IV)	वार्षिक वेतन वृद्धि (V)
1.	9,000	250	27700	770
2.	9250	250	28470	770
3.	9500	250	29240	770
4.	9750	250	30010	770
5.	10000	250	30780	770
6.	10250	250	31550	770
7.	10500	250	32320	770
8.	10750	300	33090	920
9.	11050	300	34010	920
10.	11350	300	34930	920
11.	11650	300	35850	920
12.	11950	300	36770	920
13.	12250	300	37690	920
14.	12550	300	38610	920
15.	12850	300	39530	920
16.	13150	350	40450	1080
17.	13500	350	41530	1080
18.	13850	350	42610	1080
19.	14200	350	43690	1080
20.	14550	350	44770	1080
21.	14900	350	45850	1080
22.	15250	350	46930	1080
23.	15600	350	48010	1080
24.	15950	400	49090	1230
25.	16350	400	50320	1230
26.	16750	400	51550	1230
27.	17150	400	52780	1230
28.	17550	400	54010	1230
29.	17950	400	55240	1230
30.	18350	400	56470	1230
31.	18750	400	57700	1230
32.	19150	450	58930	1380
33.	19600	450	60310	1380

34.	20050	450	61690	1380
35.	20500	450	63070	1380
36.	20950	450	64450	1380
37.	21400	450	65830	1380
38.	21850	500	67210	1540
39.	22350	500	68750	1540
40.	22850	500	70290	1540
41.	23350	500	71830	1540
42.	23850	500	73370	1540
43.	24350	500	74910	1540
44.	24850		76450	

21.5.2010

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
प्रमुख सचिव

संलग्नक–2

शासनादेश सं0–108 /xxxvi(1)/2010-50/2009 दिनांक 21 मई, 2010

	न्यायिक अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	राज्य सरकार के अधिकारियों को अनुमन्य ग्रेड वेतन (रूपये में) से समतुल्यता
1.	27700–770–33090–920–40450–1080–44770	5400
2.	33090–920–40450–1080–45850	6600
3.	39530–920–40450–1080–49090–1230–54010	7600
4.	43690–1080–49090–1230–56470	8700
5.	51550–1230–58930–1380–63070	8900
6.	57700–1230–58930–1380–67210–1540–70290	10000
7.	70290–1540–76450	एच0ए0जी (H.A.G)को अनुमन्य सुविधा

21.5.2010

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
प्रमुख सचिव